

पत्रांक : 5प/षष्ठम् राज्य वित्त आयोग-10-02/2024/84(सी०)पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20/3/2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक एवं लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹10,93,80,765.00 (दस करोड़ तिरानवें लाख अस्सी हजार सात सौ पैंसठ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4045 दिनांक 25.07.2018 के आलोक में राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में एक-एक कार्यपालक सहायक का नियोजन किया गया है। विभागीय पत्रांक 6538 दिनांक 17.11.2021 द्वारा इनकी सेवा अवधि के विस्तार के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 436 दिनांक 26.02.2019 में निहित निदेश को लागू किया गया है। साथ ही जहां ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक के पद रिक्त रह गये थे, वहां बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा इंट्री ऑपरेटर को नियोजित किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-04 में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि से किया जाना है।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4046 दिनांक 25.07.2018 के आलोक में औसतन चार ग्राम पंचायत पर एक की दर से लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक एवं तकनीकी सहायक का नियोजन किया गया है। विभागीय पत्रांक 4599 दिनांक 28.05.2024 द्वारा इनकी सेवा जारी रखे जाने हेतु निदेश संसूचित है। उक्त संकल्प की कंडिका-18 में निहित प्रावधानों के आलोक में लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों एवं तकनीकी सहायकों के मानदेय का भुगतान दोनों निश्चय योजनाओं/राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होनेवाली राशि से किया जाना है।



3. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक एवं लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के मानदेय के भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 12(स्वी०) दिनांक 10.06.2024 के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या 19(आ०) दिनांक 12.06.2024 द्वारा ₹2,20,08,07,000.00 (दो अरब बीस करोड़ आठ लाख सात हजार रुपये) मात्र एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 68(स्वी०) दिनांक 29.11.2024 के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या 68(आ०) दिनांक 29.11.2024 द्वारा ₹1,57,20,05,000.00 (एक अरब सत्तावन करोड़ बीस लाख पाँच हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹ 3,77,28,12,000.00 (तीन अरब सतहत्तर करोड़ अठ्ठाईस लाख बारह हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की गई है। उक्त आवंटित राशि के बाद भी कतिपय जिलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का अवशेष एवं पूर्व वित्तीय वर्ष के बकाया राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की मांग की गई है।

4. जिलों से प्राप्त मांग पत्रों एवं उक्त के आलोक में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों को सामान्य निधि मद की देय अनुदान राशि में से ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक एवं लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹10,93,80,765.00 (दस करोड़ तिरानवें लाख अस्सी हजार सात सौ पैंसठ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है :-

क्र०	जिला का नाम	ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय हेतु	तकनीकी सहायक के मानदेय हेतु	लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के मानदेय हेतु	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	अरवल	4093977.00	948300.00	133420.00	5175697.00
2	औरंगाबाद	5074876.00		200000.00	5274876.00
3	बाँका	2000000.00			2000000.00
4	गोपालगंज		5508000.00	4080000.00	9588000.00
5	खगड़िया	9000000.00			9000000.00
6	लखीसराय	700000.00		2500000.00	3200000.00
7	मुंगेर	1797000.00	516000.00		2313000.00
8	मुजफ्फरपुर		8775000.00	8760000.00	17535000.00
9	पू० चम्पारण		6000600.00	7486600.00	13487200.00
10	प० चम्पारण	2250000.00	4800000.00	2700000.00	9750000.00
11	शेखपुरा	2940000.00	1296000.00	1080000.00	5316000.00
12	शिवहर	1250000.00	150000.00	150000.00	1550000.00
13	सुपौल		550000.00		550000.00
14	वैशाली	10207266.00	1579065.00	610902.00	12397233.00
15	किशनगंज		1116000.00		1116000.00

16	सिवान		3000000.00		3000000.00
17	जहानाबाद	300000.00			300000.00
18	दरभंगा		3500000.00		3500000.00
19	पूर्णिया		700000.00		700000.00
20	समस्तीपुर		3627759.00		3627759.00
कुल					109380765.00

दस करोड़ तिरानवें लाख अस्सी हजार सात सौ पैसठ रूपये मात्र

5. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" मद के "विषय शीर्ष-0009.31.04-सहायक अनुदान-वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980009 है।

6. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से संबंधित जिले के जिला कोषागार से नियमानुसार करते हुए ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायकों/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों के मानदेय का भुगतान उपस्थिति विवरणी के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार विहित प्रपत्र में ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. इस स्वीकृत राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

8. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

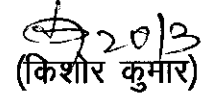
9. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकर की सहमति संचिका संख्या 5प/षष्ठम् राज्य वित्त आयोग-10-02/2024 की पृष्ठ संख्या-67/टि० पर दिनांक 06.03.2025 को प्राप्त है।

10. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/षष्ठम् राज्य वित्त आयोग-10-02/2024 के पृष्ठ संख्या-71/टि० पर दिनांक 19.03.2025 को प्राप्त है।

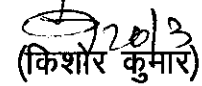
9

11. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

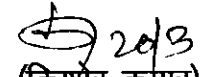
विश्वासभाजन


(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् राज्य वित्त आयोग-10-02/2024/84(5410) पं०रा० पटना, दिनांक 20/3/25
प्रतिलिपि : संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

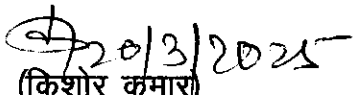
ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् राज्य वित्त आयोग-10-02/2024/84(5410) पं०रा० पटना, दिनांक 20/3/25
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् राज्य वित्त आयोग-10-02/2024/84(5410) पं०रा० पटना, दिनांक 20/3/25
प्रतिलिपि : मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् राज्य वित्त आयोग-10-02/2024/84(5410) पं०रा० पटना, दिनांक 20/3/25
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-05/03, आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

9